प्रथम सूचना रिपोर्ट

(अन्तर्गत धारा 154 दण्ड प्रक्रिया संहिता)

बुक नं0

1. जिला जयपुर थाना प्रधान आरक्षी केन्द्र, भ्र0 नि0ब्यूरो जयपुर वर्ष 2023
   प्र0इ0रि0सं0.....280......./2023 दिनांक ..25-10-2023
   (I) धारा 13(1)(ई) सपठित 13(2) पी.सी.एक्ट 1988 एवं धारा 12, 13(1)(बी) सपठित 13(2) पी.सी.एक्ट 1988 (यथा संशोधित 2018)
   (II) अधिनियम..धाराऐं ....
   (III) अधिनियम..धाराऐं..............................
   (IV) अन्य अधिनियम एवं धाराऐं...
2. (अ) रोजनामचा आम रपट संख्या.......432...................समय.....6:15 Pm
   (ब) अपराध घटने का दिन........................दिनांक........................समय.......
   (स) थाना पर सूचना प्राप्त होने की दिनांक................................समय.......
3. सूचना की किस्म :– लिखित / मौखिक लिखित
4. घटनास्थल :–
   (अ) पुलिस थाना से दिशा व दूरी करीब
   (ब) पता – ....
   ....बीट संख्या..............................जरायमदेही सं.
   (स) यदि इस पुलिस थाना से बाहरी सीमा का है तो.........
   पुलिस थाना...जिला...............................
5. परिवादी/सूचनाकर्ता :–**सूत्र सूचना**
   (अ) नाम –
   (ब) पिता/पति का नाम
   (स) जन्म तिथि/वर्ष...
   (द) राष्ट्रीयता...
   (य) पासपोर्ट संख्या.. जारी होने की तिथि..........
   जारी होने की जगह...
   (र) व्यवसाय...
   (ल) पता –
6. ज्ञात/अज्ञात संदिग्ध अभियुक्तों का ब्यौरा सम्पूर्ण विशिष्ठियों सहित :–
   1. श्री मेघराज सिंह रत्नू पुत्र श्री बालूदान रत्नू निवासी बारठ का गांव बणीयाणा, पोकरण जिला जैसलमेर हाल पी–60 राज आंगन सेक्टर 24 एनआरआई कॉलोनी हल्दीघाटी मार्ग प्रतापनगर जयपुर हाल (आई0ए0एस0) रजिस्ट्रार, सहकारिता विभाग जयपुर
   2. श्रीमती मंजूला रत्नू पत्नी श्री मेघराज सिंह रत्नू निवासी पी–60 राज आंगन सेक्टर 24 एनआरआई कॉलोनी हल्दीघाटी मार्ग प्रतापनगर जयपुर व अन्य
7. परिवादी/सूचनाकर्ता द्वारा इत्तला देने में विलम्ब का कारण :– कोई विलम्ब नही
8. चुराई हुई / लिप्त सम्पत्ति की विशिष्ठियां (यदि अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगायें)
9. चुराई हुई/ लिप्त सम्पत्ति का कुल मूल्य
10. पंचनामा/ यू.डी. केस संख्या (अगर हो तो)...
11. विषय वस्तु प्रथम इत्तिला रिपोर्ट (अगर अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगाऐं) :–

महोदय,

विश्वस्त सूत्रों से ज्ञात हुआ है कि संदिग्ध अधिकारी श्री मेघराज सिंह रत्नू (PAN NUMBER - AAQPR2338L) पुत्र श्री बालूदान रत्नू जो मूल रूप से बारठ का गांव बणीयाना, पोकरण जिला जैसलमेर का का रहने वाला है व वर्तमान में पी–60 राज आंगन सेक्टर 24 एनआरआई कॉलोनी हल्दीघाटी मार्ग प्रतापनगर जयपुर में निवास कर रहा है व संदिग्ध अधिकारी का विवाह श्रीमती मंजूला रत्नू (PAN NUMBER - AHLPR7269J) से होना व श्रीमती मंजूला रत्नू गृहणी होना सूत्रों से ज्ञात हुआ है।

सूत्रों से ज्ञात हुआ कि संदिग्ध अधिकारी के एक बेटा व एक बेटी है। संदिग्ध अधिकारी ने

अपने बेटे मिहिर रत्नू को जयपुर व अन्य शहरों के महंगे स्कूलों में पढाई करवाना तथा एमबीबीएस की पढाई महात्मा गांधी मेडिकल कॉलेज जयपुर में करवाना सूत्रों से ज्ञात हुआ है। संदिग्ध अधिकारी ने अपने पुत्र की शिक्षा पर करीब 90,00,000/रूपये व्यय करने का अनुमान है। संदिग्ध अधिकारी ने अपनी बेटी माहिजा रत्नू को जयपुर व अन्य शहरों के महंगे स्कूलों/कॉलेजों में पढाई करवाना तथा एमबीए की पढाई आईआईएम शिलॉग में पैड शीट से करवाना सूत्रों से ज्ञात हुआ है। इस प्रकार संदिग्ध अधिकारी ने अपनी पुत्री की शिक्षा पर करीब 60,00,000/रूपये व्यय करने का अनुमान है।

संदिग्ध अधिकारी ने अपनी बेटी माहिजा रत्नू का विवाह वर्ष 2018 में उदयपुर के श्री समर्थ सिंह पुत्र श्री अशोक सिंह के साथ करना सूत्रों से ज्ञात हुआ है। विश्वसनीय सूत्रों से यह भी ज्ञात हुआ है कि संदिग्ध अधिकारी ने अपनी पुत्री की विवाह दिनांक 12.12.2018 को जयपुर में सम्पन्न किया तथा विवाह का कार्यक्रम बारात व अतिथियों को होटल मैरियट ज्वाहर सर्किल जयपुर, होटल ब्लू रेडिसन ज्वाहर सर्किल जयपुर में रूकने की व्यवस्था व इन्टरटेनमेन्ट मैरिज गार्डन, ज्वाहर सर्किल जयपुर में शादी का प्रोग्राम किया गया। जिस पर अनुमानित 15,00,000/रूपये व्यय करना सूत्रों से ज्ञात हुआ है। सूत्रों से यह भी ज्ञात हुआ कि संदिग्ध अधिकारी ने अपनी पुत्री की शादी में उसके ससुराल वालों को करीब 350 तौला सोना (किमत अनुमानित 1 करोड 20 लाख रूपये) के आभुषण, करीब 20 लाख रूपये के मंहगे कपडे, चांदी के आभुषण, बर्तन व अन्य सामान दहेज में देना ज्ञात हुआ है, इस प्रकार संदिग्ध अधिकारी ने अपनी पुत्री के विवाह में लगभग 1,50,00,000/रूपये का व्यय करना अनुमानित है।

संदिग्ध अधिकारी ने जयपुर क्लब व रामबाग गोल्फ क्लब जयपुर में अत्यधिक राशि जमा करवाकर सदस्यता ग्रहण करना सूत्रों से ज्ञात हुआ है। संदिग्ध अधिकारी द्वारा स्वयं व अपने परिवारजनों के नाम से जयपुर, अजमेर में विभिन्न परिसम्पतियां खरीद करना ज्ञात हुआ है। विभागीय नियमों के अन्तर्गत सरकारी अधिकारी/कर्मचारी के निकटतम परिवारजनों यथा पत्नी, माता, पुत्र एवं पुत्री के नाम से कोई परिसम्पति क्रय करता है तो उसकी सूचना संबंधित विभागाध्यक्ष को देनी होती है व राज्य के समस्त राजकीय अधिकारियों/कर्मचारियों को अपनी चल-अचल सम्पति का विवरण ऑनलाईन राजकाज सॉफ्टवेयर पर अपलॉड करना होता है, संदिग्ध अधिकारी ने अपनी पुत्री के नाम वर्ष 2014 में खरीद किया गया प्लॉट नम्बर 63 महालक्ष्मी नगर अजमेर रोड जयपुर को अपनी आईपीआर में नहीं दर्शा रखा है। संदिग्ध अधिकारी द्वारा आचरण नियमों के विरूद्ध ऐसा कार्य किया जा रहा है। उक्त कृत्य सदिग्ध अधिकारी के द्वारा भ्रष्टाचार से आय के ज्ञात श्रोतों से भिन्न श्रातों से अर्जित धन का दुरूपयोग का सटीक उदाहरण है।

संदिग्ध अधिकारी की प्रथम नियुक्ति वर्ष 1991 में राजस्थान प्रशासनिक सेवा के पद पर हुई थी। समय-समय पर विभागीय पदौन्नती व भारतीय प्रशासनिक सेवा में पदौन्नत होने के पश्चात वर्तमान में संदिग्ध अधिकारी सहकारिता विभाग में रजिस्ट्रार के पद पर कार्यरत है। संदिग्ध अधिकारी का पदस्थापन सहायक कलेक्टर(यू.टी.) जोधुपर, विकास अधिकारी ओसियां, ए.सी.ई.एम. संगरिया हनुमानगढ, एस0डी0एम0 करणपुर श्रीगंगानगर, एस0डी0एम0 ननैवा बूंदी, जिला परिवहन अधिकारी बीकानेर, सहायक जिला कलेक्टर सिरोही, जिला परिवहन अधिकारी अजमेर, अतिरिक्त जिला कलेक्टर डुंगरपुर, जोनल ऑफिसर जेडीए जयपुर, कन्ट्रोलर स्टेट मोटर गैराज जयपुर, जिला सप्लाई ऑफिसर जयपुर, उपायुक्त जेडीए जयपुर, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद श्रीगंगानगर, डिप्टी चिफ प्रोटोकॉल ऑफिसर जी0ए0डी0 एवं कन्ट्रोलर सर्किट हाउस जयपुर, उप महानिरीक्षक पंजीयन एवं मुद्रांक सर्तकता जयपुर, जिला आबकारी अधिकारी जयपुर, अतिरिक्त निदेशक राज्य राजस्व आसूचना निदेशालय जयपुर, महाप्रबंधक एस0सी0 डेवलप्मेन्ट कॉर्पोरेशन जयपुर, अतिरिक्त आयुक्त लैण्ड एवं एल0ए0ओ0 जेडीए जयपुर, नियंत्रक एवं पदेन संयुक्त सचिव स्टेट मोटर गैराज विभाग जयपुर, उपायुक्त ट्रेनिंग एवं पदेन अतिरिक्त निदेशक स्वच्छ भारत मिशन पंचायति राज विभाग जयपुर, कार्यकारी निदेशक प्रशासन आर.एस.आर.टी.सी. जयपुर, निदेशक पुरातत्व संग्रालय विभाग जयपुर, आयुक्त जोधपुर विकास प्राधिकरण जोधपुर, निदेशक होर्टीकल्चर विभाग जयपुर, अतिरिक्त निदेशक नेशनल हैल्थ मिशन जयपुर, आयुक्त होर्टीकल्चर विभाग जयपुर, निदेशक मत्सय पालन विभाग जयपुर आदि पदों पर रहना ज्ञात हुआ है। संदिग्ध अधिकारी की आम छवि भ्रष्ट अधिकारी की होना जानकारी में आया है। संदिग्ध अधिकारी की राजकीय सेवा में नियुक्ति से पूर्व पारिवारिक पृष्ठभूमि सामान्य होना तथा नियुक्ति के पश्चात अचानक रहन सहन का स्तर आय के वैध ज्ञात स्त्रोतो से उच्च स्तर का होना ज्ञात हुआ है। संदिग्ध अधिकारी ने अपने सेवाकाल में विदेश यात्राएं करना भी सूत्रों से ज्ञात हुआ है।

सूत्रों से ज्ञात हुआ है कि संदिग्ध अधिकारी का ससुराल लक्ष्मणगढ जिला सीकर में है व संदिग्ध अधिकारी अपने सेवाकाल में वैध आय के ज्ञात श्रोत से अधिक अर्जित परिसम्पत्तियों के

दस्तावेज व अन्य बहुमुल्य दस्तावेज/वस्तु अपने अपने ससुर श्री रिछपाल सिंह पुत्र श्री जसदान सिंह निवासी खादी भण्डार के पास, लक्ष्मणगढ जिला सीकर में रखने की सूचना भी सूत्रों से ज्ञात हुई है।

श्री सतनाम सिंह उर्फ सर्दूल सिंह कंग निवासी 7 डब्लयू, श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर के नाम आवासीय मकान पी–60 राज आंगन सेक्टर 24 एनआरआई कॉलोनी हल्दीघाटी मार्ग प्रतापनगर जयपुर में वर्तमान में संदिग्ध अधिकारी परिवार सहित निवास करना सूत्रों से ज्ञात हुआ है।

संदिग्ध अधिकारी द्वारा अर्जित वैध आय, खर्च एवं अर्जित परिसम्पत्तियों का ब्यौरा निम्नलिखित है :–

परिशिष्ट "अ"

संदिग्ध अधिकारी श्री मेघराज सिंह रत्नू पुत्र श्री बालूदान सिंह रत्नू (आई0ए0एस0) रजिस्ट्रार सहकारिता विभाग जयपुर की चैक पिरियड सेवा में आने से पूर्व अर्जित परिसम्पत्तियां:–

कं सं.	परिसम्पत्ति का विवरण	परिसम्पत्ति का मूल्य
1	शून्य	शून्य

परिशिष्ट "ब"

संदिग्ध अधिकारी श्री मेघराज सिंह रत्नू पुत्र श्री बालूदान सिंह रत्नू (आई0ए0एस0) रजिस्ट्रार सहकारिता विभाग जयपुर की चैक पिरियड सेवा में आने से अब तक में अर्जित परिसम्पत्तियां:–

कं सं.	परिसम्पत्ति का विवरण	परिसम्पत्ति का मूल्य
1.	संदिग्ध अधिकारी के नाम एक प्लॉट नम्बर ए–6 शिव शक्ति नगर रामनगरिया योजना के पास जगतपुरा जयपुर दिनांक 27.10.2022 को खरीद करना ज्ञात हुआ है। उक्त मकान की रजिस्ट्री व अन्य खर्च के रूप में 1,00,70,000/रूपये व्यय करने का अनुमान है	1,00,70,000/रूपये
2.	संदिग्ध अधिकारी द्वारा एक मकान नम्बर प्लॉट नम्बर 22 शास्त्री नगर अजमेर वर्ष 2009 में स्वयं की माता लक्ष्मी देवी के नाम से 24,00,000/रूपये में खरीद करना ज्ञात हुआ है। संदिग्ध अधिकारी की माता के स्वर्गवास के उपरान्त वर्तमान में उक्त प्लॉट संदिग्ध अधिकारी के नाम रजिस्ट्रड होना होना सूत्रों से ज्ञात हुआ है।	24,00,000/रूपये
3	संदिग्ध अधिकारी द्वारा एक फ्लैट नम्बर 402 त्रिमूर्ति अपार्टमेन्ट मॉडल टाउन मालवीय नगर जयपुर वर्ष 2008 में स्वयं की पत्नी श्रीमती मंजूला रत्नू के नाम से 18,00,000/रूपये में खरीद करना ज्ञात हुआ है।	18,00,000/रूपये
4	संदिग्ध अधिकारी द्वारा एक फ्लैट नम्बर 403 त्रिमूर्ति अपार्टमेन्ट मॉडल टाउन मालवीय नगर जयपुर वर्ष 2008 में स्वयं के नाम से 18,00,000/रूपये में खरीद करना ज्ञात हुआ है। उक्त फ्लैट को वर्ष 2022 में स्वयं की पत्नी को गिफ्ट करना ज्ञात हुआ है। उक्त फलैट को खरीद करने व पत्नी को गिफ्ट करने में 18,00,000/रूपये का व्यय करना अनुमानित है।	18,00,000/रूपये
5	संदिग्ध अधिकारी द्वारा एक प्लॉट नम्बर 64 महालक्ष्मी नगर जयपुर वर्ष 2014 में स्वयं के नाम से 12,00,000/रूपये में खरीद करना ज्ञात हुआ है।	12,00,000/रूपये
6	संदिग्ध अधिकारी द्वारा एक प्लॉट नम्बर 63 महालक्ष्मी नगर जयपुर वर्ष 2014 में स्वयं की पुत्री माहिजा रत्नू के नाम से 12,00,000/रूपये में खरीद करना ज्ञात हुआ है।	12,00,000/रूपये

7	संदिग्ध अधिकारी द्वारा एक प्लॉट नम्बर 65 महालक्ष्मी नगर जयपुर वर्ष 2014 में स्वयं की पत्नी श्रीमती मंजूला रत्नू के नाम से 12,00,000/रूपये में खरीद करना ज्ञात हुआ है।	12,00,000/रूपये
8	संदिग्ध अधिकारी ने स्वयं के नाम एक चौपहिया वाहन मारूती सुजुकी एसएक्स–4 जेडएक्सआई नम्बर आरजे 14 सीएच 1269 वर्ष 2009 में खरीद करना ज्ञात हुआ है, उक्त वाहन को 8,00,000/रूपये अनुमानित व्यय कर खरीद करना ज्ञात हुआ है।	8,00,000/रूपये
9	संदिग्ध अधिकारी ने स्वयं की पुत्री माहिजा रत्नू के नाम एक चौपहिया वाहन FORD ENDEAVOUR 3.2L TITANIUM 4 नम्बर आरजे 14 यूएल 1991 खरीद करना ज्ञात हुआ है, उक्त वाहन को 34,00,000/रूपये अनुमानित व्यय कर खरीद करना ज्ञात हुआ है।	34,00,000/रूपये
10	संदिग्ध अधिकारी ने स्वयं के पुत्र मिहिर रत्नू के नाम एक चौपहिया वाहन I-10 नम्बर आरजे 14 सीजे 0131 खरीद करना ज्ञात हुआ है, उक्त वाहन को 5,50,000/रूपये अनुमानित व्यय कर खरीद करना ज्ञात हुआ है।	5,50,000/रूपये
11	संदिग्ध अधिकारी के नाम एसबीआई बैंक में बचत खाता संख्या 61330462557 में वर्तमान में 22,46,694/रूपये बलैंस होना सूत्रों से ज्ञात हुआ है।	22,46,694/रूपये
12	संदिग्ध अधिकारी के नाम एसबीआई बैंक में बचत खाता संख्या 42137818134 में वर्तमान में 45,18,308/रूपये बलैंस होना सूत्रों से ज्ञात हुआ है।	45,18,308/रूपये
13	संदिग्ध अधिकारी के नाम एसबीआई बैंक में 26352 रूपये की एफडीआर संख्या 41050696896 होना सूत्रों से ज्ञात हुआ है।	26352 रूपये
14	संदिग्ध अधिकारी की पत्नी श्रीमती मंजूला रत्नू के नाम एसबीआई बैंक में बचत खाता संख्या 61079591757 में वर्तमान में 4,29,041/रूपये बलैंस होना सूत्रों से ज्ञात हुआ है।	4,29,041/रूपये
15	संदिग्ध अधिकारी की पत्नी श्रीमती मंजूला रत्नू के नाम एसबीआई बैंक में 26,352 रूपये की एफडीआर संख्या 41050711544 होना सूत्रों से ज्ञात हुआ है।	26352 रूपये
16	संदिग्ध अधिकारी की पत्नी श्रीमती मंजूला रत्नू के नाम एसबीआई बैंक में पीपीएफ खाता संख्या 41181189163 में वर्तमान में 1,52,781/रूपये बलैंस होना सूत्रों से ज्ञात हुआ है।	1,52,781/रूपये
17	संदिग्ध अधिकारी की पुत्री माहिजा रत्नू के नाम एसबीआई बैंक में बचत खाता संख्या 61330461199 में वर्तमान में 17,61,033/रूपये बलैंस होना सूत्रों से ज्ञात हुआ है।	17,61,033/रूपये
18	संदिग्ध अधिकारी की पुत्री माहिजा रत्नू के नाम एसबीआई बैंक में पीपीएफ खाता संख्या 61153499930 में वर्तमान में 4652/रूपये बलैंस होना सूत्रों से ज्ञात हुआ है।	4652/रूपये

19	संदिग्ध अधिकारी की पुत्री माहिजा रत्नू के नाम एसबीआई बैंक में 41,359 रूपये की एफडीआर संख्या 61040340218 होना सूत्रों से ज्ञात हुआ है।	41,359/रूपये
20	संदिग्ध अधिकारी की पुत्री माहिजा रत्नू के नाम एसबीआई बैंक में 1,13,119/ रूपये की एफडीआर संख्या 61143346941 होना सूत्रों से ज्ञात हुआ है।	1,13,119/रूपये
21	संदिग्ध अधिकारी के पुत्र मिहिर रत्नू के नाम एसबीआई बैंक में बचत खाता संख्या 61079591598 में वर्तमान में 18,03,286/रूपये बलैंस होना सूत्रों से ज्ञात हुआ है।	18,03,286/रूपये
22	संदिग्ध अधिकारी के पुत्र मिहिर रत्नू के नाम एसबीआई बैंक में पीपीएफ खाता संख्या 41181192915 में वर्तमान में 1,40,207/रूपये बलैंस होना सूत्रों से ज्ञात हुआ है।	1,40,207/रूपये
23	संदिग्ध अधिकारी के पुत्र मिहिर रत्नू के नाम एसबीआई बैंक में 50,00,000/रूपये की एफडीआर संख्या 42196479959 होना सूत्रों से ज्ञात हुआ है।	50,00,000/ रूपये
योग		4,06,83,184/रूपये

परिशिष्ट "स"

संदिग्ध अधिकारी श्री मेघराज सिंह रत्नू पुत्र श्री बालूदान सिंह रत्नू (आई0ए0एस0) रजिस्ट्रार सहकारिता विभाग जयपुर की चैक पिरियंड सेवा में आने से अब तक प्राप्त आयः–

क्र सं.	चैक अवधि में अर्जित आय का विवरण	आय
1.	संदिग्ध अधिकारी द्वारा चैक पिरियड में आयकर कटौती के पश्चात 2,34,38,966/रूपये आय होने का अनुमान है।	2,34,38,966/रूपये
2.	संदिग्ध अधिकारी की पत्नी श्रीमती मंजूला रत्नू ने अपनी आयकर विवरणिका में 52,89,036/रूपये आय दर्शा रखी है। इस प्रकार संदिग्ध अधिकारी की पत्नी की चैक पिरियड में 52,89,036/रूपये आय होने का अनुमान है।	52,89,036/रूपये
3.	संदिग्ध अधिकारी के पुत्र श्री मिहिर रत्नू ने अपनी आयकर विवरणिका में 21,01,100/रूपये आय दर्शा रखी है। इस प्रकार संदिग्ध अधिकारी के पुत्र की चैक पिरियड में 21,01,100/रूपये आय होने का अनुमान है।	21,01,100/रूपये
4	संदिग्ध अधिकारी की पुत्री माहिजा रत्नू ने अपनी आयकर विवरणिका में 31,14,852/रूपये आय दर्शा रखी है। इस प्रकार संदिग्ध अधिकारी के पुत्र की चैक पिरियड में 31,14,852/रूपये आय होने का अनुमान है।	31,14,852/रूपये
5	संदिग्ध अधिकारी के पिता स्व0 श्री बालूदान रतनू ने एक आवासीय प्लॉट संख्या एच.ई. 237 हनुमान नगर विस्तार सिरसी रोड जयपुर वर्ष 1994 में खरीद कर वर्ष 1996 में वसीयत में अपने पुत्र संदिग्ध अधिकारी के नाम करवा दिया। संदिग्ध अधिकारी ने उक्त प्लॉट को वर्ष 2020 में 1,01,00,000/ रूपये में बेचान कर दिया। उक्त प्लॉट को विक्रय करने पर संदिग्ध अधिकारी को 1,01,00,000/ रूपये की आय होने का अनुमान है।	1,01,00,000/ रूपये
6	संदिग्ध अधिकारी ने एक आवासीय प्लॉट संख्या एफ–35 शिवा ऑफिसर कॉलोनी जगतपुरा जयपुर वर्ष 2005 में 12,13,273/रूपये में खरीद कर उक्त प्लॉट को वर्ष 2022 में 45,00,000/ रूपये में बेचान कर दिया। उक्त प्लॉट को विक्रय करने पर संदिग्ध अधिकारी को 32,86,727/ रूपये की आय होने का अनुमान है।	32,86,727/रूपये

योग	4,73,30,681 / रूपये

परिशिष्ट "द"

संदिग्ध अधिकारी श्री मेघराज सिंह रत्नू पुत्र श्री बालूदान सिंह रत्नू (आई0ए0एस0) रजिस्ट्रार सहकारिता विभाग जयपुर की चैक पिरियड सेवा में आने से अब तक किया गया व्ययः–

क्र सं.	चैक अवधि में किये गये व्यय का विवरण	व्यय राशि
1	संदिग्ध अधिकारी द्वारा चैक अवधि में अर्जित आय का एक तिहाई भाग नियमानुसार 78,12,988 / रूपये असत्यापनिक व्यय करने का अनुमान है।	78,12,988 / रूपये
2	संदिग्ध अधिकारी ने अपने पुत्र मिहिर रत्नू को जयपुर में उच्च स्तरीय प्राईवेट शिक्षण संस्थानों में स्कूल की पढाई करना ज्ञात हुआ है व एमबीबीएस की पढाई महात्मा गांधी मेडिकल कॉलेज जयपुर में करवाना ज्ञात हुआ। इस प्रकार संदिग्ध अधिकारी ने अपने पुत्र मिहिर रत्नू की पढाई पर 90,00,000 / रूपये व्यय करने का अनुमान है।	90,00,000 / रूपये
3	संदिग्ध अधिकारी ने अपने पुत्री माहिजा रत्नू को जयपुर में उच्च स्तरीय प्राईवेट शिक्षण संस्थानों में स्कूल की पढाई करना ज्ञात हुआ है व एमबीए की पढाई आईआईएम शिलॉग से करवाना ज्ञात हुआ। इस प्रकार संदिग्ध अधिकारी ने अपने पुत्री माहिजा रत्नू की पढाई पर 60,00,000 / रूपये व्यय करने का अनुमान है।	60,00,000 / रूपये
4	संदिग्ध अधिकारी ने अपनी बेटी माहिजा रत्नू का विवाह वर्ष 2018 में उदयपुर के श्री समर्थ सिंह पुत्र श्री अशोक सिंह के साथ करना सूत्रों से ज्ञात हुआ है। विश्वसनीय सूत्रों से यह भी ज्ञात हुआ है कि संदिग्ध अधिकारी ने अपनी पुत्री की विवाह दिनांक 12.12.2018 को जयपुर में सम्पन्न किया तथा विवाह का कार्यक्रम बारात व अतिथियों को होटल मैरियट ज्वाहर सर्किल जयपुर, होटल ब्लू रेडिसन ज्वाहर सर्किल जयपुर में रूकने की व्यवस्था व इन्टरटेनमेन्ट मैरिज गार्डन, ज्वाहर सर्किल जयपुर में शादी का प्रोग्राम किया गया। जिस पर अनुमानित 15,00,000 / रूपये व्यय करना सूत्रों से ज्ञात हुआ है। सूत्रों से यह भी ज्ञात हुआ कि संदिग्ध अधिकारी ने अपनी पुत्री की शादी में उसके ससुराल वालों को करीब 350 तौला सोना (किमत अनुमानित 1 करोड 20 लाख रूपये) के आभुषण, करीब 20 लाख रूपये के मंहगे कपडे, चांदी के आभुषण, बर्तन व अन्य सामान दहेज में देना ज्ञात हुआ है, इस प्रकार संदिग्ध अधिकारी ने अपनी पुत्री के विवाह में लगभग 1,50,00,000 / रूपये का व्यय करना अनुमानित है।	1,50,00,000 / रूपये
5	संदिग्ध अधिकारी व उसके परिजनों द्वारा चैक पिरियड में उपयोग में लिये गये वाहनों के रखरखाव, ईधन, मेन्टेनेन्स, बिमा आदि पर अनुमानित व्यय 4,20,000 / रूपये	4,20,000 / रूपये
6	संदिग्ध अधिकारी ने स्वयं व अपनी पत्नी मंजूला रत्नू के बैंक खाते से श्री सतनाम सिंह कंग (जिसके एनआरआई कॉलोनी जयपुर स्थित मकान में वर्तमान में निवास कर रहा है) को उसके बैंक खाता संख्या 5051690000323 एचडीएफसी बैंक में विभिन्न दिनांकों को 1,14,58,000 / रूपये ट्रांसफर करना तथा श्री सतनाम सिंह उर्फ सर्दूल सिंह कंग ने संदिग्ध अधिकारी व उसकी पत्नी को 85,00,000 / रूपये वापस जरिये बैंक ट्रांसफर करना सूत्रों से ज्ञात हुआ। इस प्रकार संदिग्ध अधिकारी द्वारा श्री सतनाम सिंह कंग को किये गये उपरोक्त लेनदेन में श्री	29,58,000 / रूपये

	सतनाम सिंह कंग को जरिये बैंक दी गई धनराशि में से 29,58,000/रूपये बकाया हैं। यहां यह उल्लेखनीय है कि श्री सतनाम सिंह कंग ने मकान नम्बर पी–60 राज आंगन सेक्टर 24 एनआरआई कॉलोनी हल्दीघाटी मार्ग प्रतापनगर जयपुर को दिनांक 01.12.2020 को खरीद किया व विक्रेता पक्ष को दिनांक 25.11.2020 को रूपये जरिये बैंक दिये थे। दिनांक 24.11.2020 को संदिग्ध अधिकारी ने स्वयं व अपनी पत्नी के बैंक खाते से श्री सतनाम सिंह कंग के खाते में 1,10,00,000/रूपये ट्रांसफर करना सूत्रों से ज्ञात हुआ है।	
योग		4,11,90,988/रूपये

संदिग्ध अधिकारी श्री मेघराज सिंह रत्नू द्वारा अपनी नियुक्ति वर्ष 1991 से पहले अर्जित परिसम्पतियों का उल्लेख परिशिष्ट "अ" मे दर्शाया गया है, जो शून्य है।

संदिग्ध अधिकारी श्री मेघराज सिंह रत्नू द्वारा अपनी नियुक्ति वर्ष 1991 से अब तक अर्जित परिसम्पतियों का उल्लेख परिशिष्ट "ब" मे दर्शाया गया है, जिसके अनुसार संदिग्ध अधिकारी द्वारा स्वयं व स्वयं की पत्नी व पुत्री के नाम अर्जित परिसम्पत्तियों का कुल मुल्य 4,06,83,184/रूपये अनुमानति है।

संदिग्ध अधिकारी श्री मेघराज सिंह रत्नू द्वारा अपनी नियुक्ति वर्ष 1991 से अब तक अर्जित आय का उल्लेख परिशिष्ट "स" मे दर्शाया गया है, जिसके अनुसार संदिग्ध अधिकारी की आयकर कटौती उपरान्त शुद्ध आय 2,34,38,966/रूपये रही है। इसके अतिरिक्त संदिग्ध अधिकारी की पत्नी श्रीमती मंजूला रत्नू ने अपने आयकर रिटर्न से अब तक विभिन्न स्त्रोतों से अपनी आय दर्शा रखी है, जिसके अनुसार कुल आय 52,89,036/रूपये है। संदिग्ध अधिकारी के पुत्र मिहिर रत्नू ने अपने आयकर रिटर्न से अब तक विभिन्न स्त्रोतों से अपनी आय दर्शा रखी है, जिसके अनुसार कुल आय 21,01,100/रूपये है। संदिग्ध अधिकारी की पुत्री माहिजा रत्नू ने अपने आयकर रिटर्न से अब तक विभिन्न स्त्रोतों से अपनी आय दर्शा रखी है, जिसके अनुसार कुल आय 31,14,852/रूपये है। इसके अतिरिक्त संदिग्ध अधिकारी के पिता स्व0 श्री बालूदान रतनू ने एक आवासीय प्लॉट संख्या एच. ई. 237 हनुमान नगर विस्तार सिरसी रोड जयपुर वर्ष 1994 में खरीद कर वर्ष 1996 में वसीयत में अपने पुत्र संदिग्ध अधिकारी के नाम करवा दिया। संदिग्ध अधिकारी ने उक्त प्लॉट को वर्ष 2020 में 1,01,00,000/ रूपये में बेचान कर दिया। उक्त प्लॉट को विक्रय करने पर संदिग्ध अधिकारी को 1,01,00,000/ रूपये की आय होने का अनुमान है व संदिग्ध अधिकारी ने एक आवासीय प्लॉट संख्या एफ–35 शिव ऑफिसर कॉलोनी जगतपुरा जयपुर वर्ष 2005 में 12,13,273/रूपये में खरीद कर उक्त प्लॉट को वर्ष 2022 में 45,00,000/ रूपये में बेचान कर दिया। उक्त प्लॉट को विक्रय करने पर संदिग्ध अधिकारी को 32,86,727/ रूपये की आय होने का अनुमान है। इस प्रकार प्रपत्र "स" के अनुसार संदिग्ध अधिकारी व उसके परिवारजनों की ज्ञात श्रोतों से कुल वैध आय लगभग 2,34,38,966+52,89,036+21,01,100+31,14,852+1,01,00,000+32,86,727= 4,73,30,681/रूपये का अनुमान है।

संदिग्ध अधिकारी श्री मेघराज सिंह रत्नू द्वारा अपनी नियुक्ति वर्ष 1991 से अब तक किये गये व्यय का उल्लेख परिशिष्ट "द" मे दर्शाया गया है, जिसके अनुसार कुल 4,11,90,988/रूपये व्यय करने का अनुमान है।

इस प्रकार संदिग्ध अधिकारी श्री मेघराज सिंह रत्नू व उसके परिवार जनों की चैक पिरियड

वर्ष 1991 से अब तक के ज्ञात स्त्रोतो से प्राप्त आय 4,73,30,681/रूपये होकर, अर्जित सम्पति का मूल्य 4,06,83,184/रूपये एवं व्यय राशि 4,11,90,988/रूपये पाई गई है। अतः सम्पति तथा व्यय राशि का जोड 8,18,74,172/रूपये में से उपरोक्त आय 4,73,30,681/रूपये को घटाने पर 3,45,43,491/रूपये की परिसम्पतियां वैध आय के ज्ञात श्रोत से अधिक अर्जित किया जाना गोपनीय सत्यापन से पाया गया है, जो आय से लगभग 72.98 प्रतिशत अधिक है।

संदिग्ध अधिकारी व संदिग्ध अधिकारी से संबंधित निम्न ठिकानों (1) पी–60 राज आंगन सेक्टर 24 एनआरआई कॉलोनी हल्दीघाटी मार्ग प्रतापनगर जयपुर (2) फ्लैट नम्बर 402, 403 त्रिमूर्ति अपार्टमेन्ट मॉडल टाउन मालवीय नगर जयपुर (3) मकान नम्बर 22 शास्त्री नगर अजमेर (4) संदिग्ध अधिकारी का निवास स्थान ग्राम बारठ का गांव, बणीयाणा, पोकरण जिला जैसलमेर (5) संदिग्ध अधिकारी का कार्यालय रजिस्ट्रार, सहकारिता विभाग नेहरू सहकार भवन, जयपुर (6) संदिग्ध अधिकारी के ससुर श्री रिछपाल सिंह पुत्र श्री जसदान सिंह का लक्ष्मणगढ जिला सीकर स्थित निवास स्थान (7) श्री सतनाम सिंह उर्फ श्री सर्दूल सिंह पुत्र श्री दयाल सिंह का 7 डब्लयू श्री करणपुर जिला श्रीगंगानगर स्थित निवास स्थान व अन्य की यदि तलाशी ली जाती है तो कई मूल्यवान परिसम्पत्तियों के दस्तावेज, नकदी, एफ.डी.आर, बैंक लॉकर्स, एन.एस.सी स्वर्ण आभूषण एवं अन्य मूल्यवान परिसम्पत्तियां मिलने की सम्भावना है।

अतः संदिग्ध अधिकारी श्री मेघराज सिंह रत्नू पुत्र श्री बालूदान रत्नू निवासी बारठ का गांव बणीयाणा, पोकरण जिला जैसलमेर हाल पी–60 राज आंगन सेक्टर 24 एनआरआई कॉलोनी हल्दीघाटी मार्ग प्रतापनगर जयपुर हाल (आई0ए0एस0) रजिस्ट्रार, सहकारिता विभाग जयपुर एवं श्रीमती मंजूला रत्नू पत्नी श्री मेघराज सिंह रत्नू व अन्य के विरूद्ध वैध आय के ज्ञात श्रोत से अधिक परिसम्पत्तियां अर्जित करने का कृत्य अन्तर्गत धारा 13(1)(ई) सपठित 13(2) पी.सी.एक्ट 1988 एवं धारा 12, 13(1)(बी) सपठित 13(2) पी.सी.एक्ट 1988 (यथा संशोधित 2018) के तहत अपराध घटित होना पाया जाता है। अतः बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट क्रमांकन हेतु प्रेषित है।

25.10.23

(विशना राम)
अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,
इन्टे0 जयपुर

कार्यवाही पुलिस

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईपशुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, इन्टे. जयपुर ने प्रेषित की है। मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 13(1)(ई) सपठित 13(2) पी.सी.एक्ट 1988 एवं धारा 12, 13(1)(बी) सपठित 13(2) पी.सी. एक्ट 1988 (यथा संशोधित 2018) में वर्णित अपराध घटित होना पाया जाने से अभियुक्त श्री मेघराज सिंह रत्नू पुत्र श्री बालूदान रत्नू निवासी बारठ का गांव तह0 पोकरण जिला जैसलमेर हाल पी-60 राज आंगन सेक्टर 24 एनआरआई कॉलोनी हल्दीघाटी मार्ग प्रतापनगर जयपुर हाल (आई0ए0एस0) रजिस्ट्रार, सहकारिता विभाग जयपुर एवं श्रीमती मंजूला रत्नू पत्नी श्री मेघराज सिंह रत्नू व अन्य के विरूद्ध अपराध संख्या 230/**2023** उपरोक्त धाराओं में दर्ज कर अनुसंधान श्री सुरेन्द्र सिंह, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर नगर द्वितीय, जयपुर के सुपूर्द किया गया। प्रतियां एफ.आई.आर. नियमानुसार कता कर जारी की गई।

25/10/23

(विशना राम)
पुलिस अधीक्षक-प्रशासन
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो
राज0 जयपुर

क्रमांक :- 2971-75

दिनांक :- 25-10-23

प्रतिलिपी सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. माननीय विशिष्ट न्यायाधीश एवं सेशन न्यायालय भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम मामलात, क्रम संख्या-1 जयपुर
2. श्रीमान प्रमुख शासन सचिव, कार्मिक विभाग, राज0 जयपुर
3. श्रीमान प्रमुख शासन सचिव सहकारिता विभाग,राज0 जयपुर
4. श्रीमान उपमहानिरीक्षक पुलिस (मुख्यालय), भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर
5. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो जयपुर नगर द्वितीय जयपुर

(विशना राम)
पुलिस अधीक्षक-प्रशासन
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो
राज0 जयपुर